

बिहार कॉउन्सिल ऑन साईन्स एण्ड टेक्नोलॉजी, पटना।  
(इन्दिरा गॉधी विज्ञान परिसर, तारामंडल, पटना)


पत्रांक:- बी०सी०एस०टी०-स्था०-26/2024-704

पटना, दिनांक:-04.09.2024

कार्यालय आदेश

तारामंडल परिसर में नवनिर्मित अतिथि गृह के कमरों के आरक्षण किये जाने हेतु शर्त निम्नवत् है :-

1. अतिथि गृह में कुल आठ कमरों (प्रथम तल चार एवं द्वितीय तल चार) में से द्वितीय तल पर स्थापित कुल चार कमरों को विभागीय पदाधिकारियों, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/राजकीय पोलटेकनिक संस्थान के शिक्षकों हेतु विभागीय कार्य में भाग लेने की स्थिति में आरक्षित किया जायेगा। द्वितीय तल पर अवस्थित चार कमरों में से दो कमरें Executive Suite एवं दो Deluxe Room के श्रेणी है। Executive Suite तथा Deluxe Room हेतु आरक्षण शुल्क क्रमशः रू०-1000/- (एक हजार रुपये मात्र) तथा 500/- (पांच सौ रुपये मात्र) प्रतिदिन, प्रति व्यक्ति के दर से देय होगा।
  2. प्रथम तल पर अवस्थित कमरों को बाह्य लोगों के लिए आरक्षित किया जा सकेगा। Executive Suite तथा Deluxe Room हेतु आरक्षण शुल्क क्रमशः रू०-2000/- (दो हजार रुपये मात्र) तथा 1000/- (एक हजार रुपये मात्र) प्रतिदिन, प्रति व्यक्ति के दर से देय होगा।
  3. कमरों का आरक्षण अधिकतम तीन दिनों के लिए ही किया जा सकेगा। तीन दिनों से अधिक का आरक्षण विभागीय निदेशक के अनुमोदन के पश्चात् ही किया जा सकेगा।
  4. अतिथि गृह के कमरों का आरक्षण परियोजना निदेशक, बिहार काउन्सिल ऑन साईन्स एण्ड टेक्नोलॉजी, पटना से स्तर से किया जा सकेगा।
- उपरोक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।



निदेशक-सह-विशेष सचिव,


विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,  
बिहार, पटना।

ज्ञापक:- बी०सी०एस०टी०-स्था०-26/2024-704

पटना, दिनांक:-04.09.2024

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. माननीय मंत्री के आप्त सचिव, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।
2. सचिव के आप्त सचिव, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।
3. आई०टी० मैनेजर, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना, विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।



निदेशक-सह-विशेष सचिव,  
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,  
बिहार, पटना।